सिद्धार्थ विश्वविद्यालय कपिलवस्तु,

सिद्धार्थनगर-272202 उ0प्र0(भारत)

Website : www.suksn.edu.in, Email Id: registrarsidduniv@gmail.com

पत्रांक-2019 / कु0स0का0 / सि0वि0वि0 / 2022 दिनांक- 21-05-2022

सेवा में,

1. **प्राचार्य, शिवहर्ष किसान पी0जी0 कालेज, बस्ती।**
2. **प्राचार्य, रतनसेन डिग्री कालेज, बांसी, सिद्धार्थनगर।**
3. **प्राचार्य, एच0आर0पी0जी0 कालेज, खलीलाबाद, संतकबीरनगर।**
4. **प्राचार्य, जवाहर लाल नेहरू स्मारक पी0जी0 कालेज, महराजगंज।**
5. **प्राचार्य, एम0एल0के0 पी0जी0 कालेज, बलरामपुर।**
6. **प्राचार्य, माहामाया राजकीय महाविद्यालय, श्रावस्ती।**

विषयः- सड़क सुरक्षा जागरूकता अभियान दिनांक 19-05-2022 से 31-05-2022 तक के मध्य प्रशिक्षण कार्यक्रम कराये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषयक अपर मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश शासन के पत्र संख्या-1272/सत्तर-3-2022-08(14)/2018 लखनऊ, दिनांक 17 मई, 2022 के द्वारा सम्पूर्ण प्रदेश में सड़क सुरक्षा जागरूकता अभियान के अन्तर्गत उच्च शिक्षण संस्थानों में विभिन्न कार्यक्रमों के आयोजन किये जाने के निर्देश प्रदान किये गए है। उक्त अभियान के अन्तर्गत उल्लेख है कि **"प्रत्येक रविवार को जनपद में स्तरीय गोष्ठी आयोजित की जायेगी जिसमें जनपद के समस्त शिक्षण संस्थानों प्राचार्य/प्राचार्या द्वारा प्रतिभाग किया जायेगा तथा उन्हें यातायात पुलिस एवं परिवहन विभाग के अधिकारियों द्वारा प्रशिक्षण प्रदान किया जायेगा।"** तत्क्रम में उच्च शिक्षा निदेशक के पत्रांक-डिग्री विकास/195/2022-23 दिनांक 19-05-2022 के द्वारा आपसे दिनांक 22-05-2022 एवं 29-05-2022 को आयोजित होने वाले प्रशिक्षण कार्यक्रमों में प्रतिभाग हेतु किसी एक तिथि का विकल्प देने की आपेक्षा की गयी है।

मा0 कुलपति जी द्वारा उक्त कार्यक्रम हेतु आपको आपके जनपद का नोडल अधिकारी नामित किया गया है। अतः आपसे अपेक्षा है कि आप उक्त तिथि (दिनांक 22-05-2022 से 29-05-2022) के मध्य किसी भी रविवार को समय का निर्धारण कर जनपद में स्तरीय गोष्ठी आयोजित करते हुए अपने जनपद के समस्त महाविद्यालयों के प्राचार्य/प्राचार्या की प्रतिभागिता सुनिश्चित कराते हुए उन्हें यातायात पुलिस एवं परिवहन विभाग के अधिकारियों द्वारा प्रशिक्षण प्रदान कराने की व्यवस्था कराएँ साथ ही प्रशिक्षण कार्यक्रम की कृत कार्यवाही से क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारी एवं विश्वविद्यालय को अवगत कराना सुनिश्चित करें।

कुलसचिव
सिद्धार्थ विश्वविद्यालय, कपिलवस्तु,
सिद्धार्थनगर।

पत्रांक-2019 / तद्दिनांकित।

प्रतिलिपि- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

1. प्राचार्य/प्राचार्या, समस्त सम्बद्ध महाविद्यालय।
2. निजी सचिव, कुलपति को मा0 कुलपति जी के अवलोकनार्थ।
3. वित्त अधिकारी, सिद्धार्थ विश्वविद्यालय, कपिलवस्तु, सिद्धार्थनगर।
4. अधिष्ठाता, छात्र कल्याण/कुलानुशासक, सिद्धार्थ विश्वविद्यालय कपिलवस्तु, सिद्धार्थनगर।
5. समस्त विभागाध्यक्ष/प्रभारी, सिद्धार्थ विश्वविद्यालय कपिलवस्तु, सिद्धार्थनगर।
6. सहायक कुलसचिव (परीक्षा/गोपनीय) सिद्धार्थ विश्वविद्यालय, कपिलवस्तु, सिद्धार्थनगर।
7. डॉ0 अविनाश प्रताप सिंह, मीडिया प्रभारी/जनसम्पर्क अधिकारी सि0वि0वि0क0 सिद्धार्थनगर।
8. प्रभारी कम्प्यूटर सेल को इस आशय से प्रेषित कि उपरोक्त सूचना को विश्वविद्यालय की वेबसाइट एवं महाविद्यालयों के कालेज लॉगिन पर अपलोड कराना सुनिश्चित करें।
9. सम्बन्धित पत्रावली में संरक्षण हेतु।

कुलसचिव
सिद्धार्थ विश्वविद्यालय, कपिलवस्तु,
सिद्धार्थनगर।

शीर्ष प्राथमिकता/समयबद्ध

संख्या– 1272/सत्तर–3–2022–08(14)/2018

प्रेषक,

मोनिका एस.गर्ग,
अपर मुख्य सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1. **निदेशक**
उच्च शिक्षा, उ0प्र0
प्रयागराज।

2. **कुलसचिव,**
समस्त राज्य/निजी विश्वविद्यालय,
उ0प्र0।

3. **विशेष कार्याधिकारी,**
राष्ट्रीय सेवा योजना कोष्ठक।

उच्च शिक्षा अनुभाग–3 **लखनऊ : दिनांक 17 मई, 2022**

विषय:– सड़क सुरक्षा जागरूकता अभियान दिनांक 19.05.2022 से दिनांक 31.05.2022 के दौरान उच्च शिक्षण संस्थानों में विभिन्न कार्यक्रमों के आयोजन के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषय पर मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि राज्य सरकार द्वारा प्रदेश में सड़क सुरक्षा जागरूकता अभियान चलाने का निर्णय लिया गया है। इस दौरान विश्वविद्यालयों/समस्त उच्च शिक्षण संस्थानों में सड़क सुरक्षा के प्रति अध्यापकों, छात्रों एवं अभिभावकों के मध्य जागरूकता पैदा करने हेतु निम्नानुसार कार्यवाही सुनिश्चित कराने का कष्ट करें :–

1. **शिक्षकों का प्रशिक्षण**
अभियान के अन्तर्गत रविवार को प्रत्येक जनपद में जनपद स्तरीय गोष्ठी आयोजित की जायेगी, जिसमें जनपद के सभी उच्च शिक्षण संस्थानों के प्राध्यापकों एवं प्राचार्यो द्वारा प्रतिभाग किया जायेगा। उन्हें सड़क सुरक्षा के प्रति जागरूक करने हेतु जनपद स्तरीय यातायात पुलिस तथा परिवहन विभाग के अधिकारियों के सहयोग से प्रशिक्षण प्रदान किया जायेगा।

2. **एन.सी.सी./एन.एस.एस./रोवर रेन्जर्स द्वारा चौराहों पर प्रचार–प्रसार**
(1) उक्त रविवार को एन.सी.सी./एन.एस.एस./रोवर रेन्जर्स द्वारा जनमानस को जागरूक करने के लिए चौराहों पर प्रचार प्रसार एवं सड़क सुरक्षा रैली का आयोजन किया जायेगा तथा संवेदीकरण अभियान चलाया जायेगा।
(2) अभियान के अन्तर्गत जनमानस को प्रशिक्षित किये जाने हेतु एन.सी.सी./एन.एस.एस./रोवर रेन्जर्स द्वारा वाल राइटिंग का कार्य भी किया जायेगा।

3. **सेमिनार/गोष्ठी**
उक्तानुसार रविवार को आयोजित जनपद स्तरीय गोष्ठी के कम में अगले दिन सोमवार को प्रत्येक संस्थान में सुरक्षा नियमों पर गोष्ठी/सेमिनार आयोजित की

जायेगी, जिसमें उक्तानुसार प्रशिक्षित प्राचार्यों/शिक्षकों द्वारा सड़क सुरक्षा जागरूकता की जानकारी दी जायेगी। गोष्ठी/सेमिनार में यथासम्भव यातायात पुलिस/परिवहन विभाग के अधिकारियों के सहयोग से छात्रों एवं अध्यापकों का अभिमुखीकरण किया जायेगा।

4. रोड सेफ्टी क्लब का गठन

प्रत्येक उच्च शिक्षण संस्थानों में रोड सेफ्टी क्लब का गठन किया जायेगा, जो वर्ष के दौरान सड़क सुरक्षा सम्बन्धी कार्यक्रमों का आयोजन करायेगा।

5. जागरूकता कार्यक्रम

अभियान के दौरान सभी संस्थानों में छात्रों में सड़क सुरक्षा के प्रति जागरूकता कार्यक्रम के अन्तर्गत प्रभात फेरी, क्विज, निबन्ध, पोस्टर पेन्टिंग, स्लोगन राइटिंग, रंगोली आदि प्रतियोगितायें आयोजित की जायेंगी।

6. सड़क सुरक्षा शपथ

सभी उच्च शिक्षण संस्थानों में छात्रों एवं अध्यापकों को सड़क सुरक्षा की शपथ दिलायी जायेगी।

2– उपरोक्तानुसार आयोजित सभी कार्यक्रमों में यथासम्भव अभिभावकों की प्रतिभागिता सुनिश्चित की जाय। सड़क सुरक्षा नियमों से सम्बन्धित हैण्ड बिल सूचना विभाग द्वारा तैयार कर उपलब्ध कराये जायेंगे, छात्र/छात्राओं के मध्य उनका वितरण सुनिश्चित किया जायेगा।

3– संस्थानों द्वारा आयोजित किये गये कार्यक्रमों की सूचना के प्रेषण हेतु निर्धारित प्रारूप संलग्न कर इस निर्देश सहित प्रेषित है कि समस्त राज्य विश्वविद्यालय अपनी एवं उनके अधीन आने वाले स्ववित्त पोषित महाविद्यालयों की सूचना, समस्त निजी विश्वविद्यालय तथा एन.सी.सी./एन.एस.एस./रोवर रेन्जर्स के समन्वयक अपनी सूचना निर्धारित प्रारूप पर दिनांक 05 जून, 2022 तक सम्बन्धित क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारी को उपलब्ध करायेंगे। क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारी सूचनाओं को संकलित कर दिनांक 07 जून, 2022 तक निदेशक उच्च शिक्षा, उ0प्र0 प्रयागराज को उपलब्ध करायेंगे तथा निदेशक उच्च शिक्षा द्वारा समस्त क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारी की सूचनाओं को संकलित कर दिनांक 10 जून, 2022 तक उच्च शिक्षा अनुभाग–3 के ई–मेल आई0डी0–hesection.3@gmail.com पर उपलब्ध कराया जायेगा।

संलग्नक–यथोपरि

भवदीया,

(मोनिका एस. गर्ग)
अपर मुख्य सचिव।

संख्या–1272/सत्तर–3–2022–तद्दिनाँकः

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1– निजी सचिव, मा0 मंत्री उच्च शिक्षा विभाग, उ0प्र0 शासन।

2– निजी सचिव, मा0 राज्यमंत्री उच्च शिक्षा विभाग, उ0प्र0 शासन।

3– अपर मुख्य सचिव, गृह विभाग, उ0प्र0 शासन।

4– अपर मुख्य सचिव, सूचना विभाग उ0प्र0 शासन।

5– प्रमुख सचिव, परिवहन विभाग उ0प्र0 शासन।

6– निदेशक सूचना, उ0प्र0।

7– परिवहन आयुक्त, उ0प्र0 लखनऊ।

8– समस्त जिलाधिकारी, उ0प्र0।

9– समस्त क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारी उ०प्र०।

आज्ञा से,

(**मनोज कुमार**)

विशेष सचिव।

उच्च शिक्षा विभाग

उत्तर प्रदेश राज्य सड़क सुरक्षा जागरूकता अभियान

दिनांक 19.05.2022 से 31.05.2022 तक

क0सं0	गतिविधि	भाग लेने वाले संस्थानों की संख्या		आयोजित कार्यक्रमों की संख्या	कुल प्रतिभागीयों की संख्या
		विश्वविद्यालय	महाविद्यालय		
1	2	3	4	5	6
1	शिक्षकों का प्रशिक्षण (जनपद स्तरीय)				
2	**NCC/NSS/ Rover Rangers** द्वारा जन समान्य के लिये जागरूकता अभियान/सड़क सुरक्षा रैली				
3	वॉलराइटिंग				
4	सेमिनार/गोष्ठी				
5	यातायात पुलिस के अधिकारियों/कर्मचारियों को आमंत्रित कर संस्थानों में आयोजित अभिमुखीकरण कार्यकम				
6	रोड सेफ्टी क्लब का गठन				
7	जागरूकता कार्यक्रमों का आयोजन				
8	सड़क सुरक्षा शपथ ग्रहण				